WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

DECEMBER 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 कैबिनेट से मंजूर, बड़े भवनों में अनिवार्य होगी फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती
- यूपी सौर ऊर्जा नीति मंजूर, पांच वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हजार मेगावाट करने का लक्ष्य
- सभी श्रेणियों की पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर सब्सिडी
- 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन
- मेट्रो किनारे घोषित टीओडी जोन मास्टर प्लान में जुड़ेगा
- खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को दोगुनी कैपिटल सब्सिडी
- ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
- ईपीएफओ: पेंशन योजनाओ में बदलाव की तैयारी, सेवानिवृत्ति पर मिलेगा ज्यादा पैसा
- सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई पोर्टल शुरू, अब ऑनलाइन जवाब मिलेगा
- Petrol को GST में लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार! इसके दायरे में आ गया तो कितना सस्ता हो जाएगा?
- लखनऊ और बाराबंकी बनेंगे केमिकल एसईजेड
- अब स्मार्ट ट्रॉली से सिलेंडर के लीकेज की मिलेगी जानकारी
- कैबिनेट का फैसला: कारोबारी की सुगमता के लिए समाप्त किए जाएंगे 36 कानून
- सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा वन स्टाप शाप

यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 कैबिनेट से मंजूर, बड़े भवनों में अनिवार्य होगी फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में जल्द अग्निशमन सुरक्षा को लेकर और सख्त कानून बनाने की जो तैयारी तेज की गई थी, उसे मूर्तरूप देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रसारित माडल फायर एंड इमरजेंसी बिल 2019 को आधार बनाकर तैयार किया गया है।

इसके तहत अब 15 मीटर से ऊंची इमारतों के अलावा स्कूल-कालेज, माल, औद्योगिक इकाइयों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरणों के पुख्ता प्रबंधों के साथ वहां फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती अनिवार्य होगी। अग्निशमन अधिकारियों को गड़बड़ी पाए जाने पर किसी भवन को सील करने का अधिकार भी होगा। लापरवाह दमकल कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी व्यवस्था होगी।

साथ ही अब किसी भवन में आग लगने से होेने वाली जनहानि की स्थिति में पीड़ित परिवार काे मुआवजा भवन स्वामी अथवा उस भवन का उपयोग कर रहे व्यक्ति को देना होगा। हालांकि अभी राज्य सरकार कई नियम तय करेगी, जिसके बाद अध्यादेश को लागू किया जाएगा।

राज्य सरकार केंद्र के बिल को कुछ बदलावों के साथ लागू करेगी। इसके लिए डीजी फायर सर्विस ने विस्तृत प्रस्ताव सरकार को भेजा था। जिसके तहत बिल के कुल 11 अध्याय समेत 69 धाराओं में से 54 धाराओं को यथावत स्वीकार किया गया है। जबकि 15 धाराओं में संशोधन किया गया है। केंद्र के बिल में अग्निशमन निदेशक को कई अधिकार दिए गए हैं, जो फायर सर्विस का डीआइजी स्तर का अधिकारी होता है।

प्रदेश में फायर सर्विस की कमान आइपीएस अधिकारी संभालते हैं। यहां डीजी अथवा एडीजी स्तर के अधिकारी दमकल विभाग के मुखिया होते हैं, जिन्हें निदेशक के स्थान पर 15 धाराओं के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में फायर सर्विस अधिनियम में

एकरूपता के लिए केंद्र सरकार ने माडल फायर सर्विस बिल- 1958 तथा संशोधित माडल फायर एंड इमरजेंसी बिल- 2019 सभी राज्य सरकारों को अंगीकृत करने के लिए भेजा था।

वर्तमान में प्रदेश में फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट-2005 लागू है। नया अध्यादेश लागू होने के बाद फायर सर्विस के उपकरणों में बढ़ोत्तरी के साथ ही उसके इमरजेंसी रिस्पांस को भी बढ़ाया जाएगा। किसी आपदा अथवा आपात स्थिति में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले दमकल विभाग की भूमिका होगी। इसके लिए उनकी जनशक्ति व संसाधान बढ़ाए जाएंगे। विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जाएगा। जिससे आपदा अथवा आपात स्थिति में जनहानि काे बचाया जा सके।

डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र का कहना है कि नये अध्यादेश में अग्नि सुरक्षा उपायों की अनदेखी व नियमो का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारी जुर्माने से लेकर जेल भेजे जाने का भी प्राविधान होगा। दमकल अधिकारी दिन में तीन घंटे के नोटिस में किसी भवन का निरीक्षण कर सकेंगे। बचाव कार्य के दौरान उन्हें अतिक्रमण हटाने का भी अधिकार होगा।

निर्धारित अवधि में फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती न किए जाने पर जुर्माने का भी प्राविधान होगा। फायर सुरक्षा अधिकारी के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी अनिवार्यता होगी। उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी फायर आडिट की भी व्यवस्था होगी। फायर विभाग की एनओसी को फायर सुरक्षा प्रमाणपत्र के नाम से जाना जाएगा। दमकल विभाग से अधिकृत कंपनियों से फायर आडिट कराने के उपरांत उसकी रिपोर्ट पर विभाग एक माह के भीतर फायर सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

यूपी सौर ऊर्जा नीति मंजूर, पांच वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 22 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दोहरी मंशा से योगी आदित्यनाथ सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आई है। राज्य कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की। नई नीति में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और अगले पांच वर्षों में 22 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 7698 करोड़ रुपये विभिन्न मद में खर्च करेगी।

नई सौर ऊर्जा नीति रोजगार सृजन पर फोकस है। 30 हजार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही गई है, इन्हें सूर्य मित्र कहा जाएगा। नीति में स्टोरेज सिस्टम के साथ सोलर पार्क की स्थापना करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी को बढ़ाया गया है। तमाम अन्य नीतियों की तर्ज पर स्टैंप ड्यूटी व इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट का तोहफा तो दिया ही गया है। नीति में अयोध्या शहर को माडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है।

प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों में कुल पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित मांग की न्यूनतम 10 प्रतिशत ऊर्जा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरी की जाएगी। नीति के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार, नगर निगमों व नोयडा सिटी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

सोलर पार्क की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत अनुदान:

स्टोरेज सिस्टम के साथ पांच मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के स्थापित सोलर पार्कों को 2.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे सौर ऊर्जा को स्टोर कर पीक लोड के समय विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। सोलर पार्क स्थापित करने वाले निवेशकों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के साथ-साथ ओपन एक्सेस के माध्यम से

अन्य औद्योगिक इकाई को बिजली विक्रय करने का विकल्प दिया जाएगा। ओपन एक्सेस से बिजली बेचने पर भी राज्य के ट्रांसमिशन तंत्र पर देय व्हीलिंग चार्ज पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।

किस क्षेत्र के लिए कितना रखा गया है लक्ष्य:

क्षेत्र :	उत्पादन लक्ष्य
सोलर पार्क की स्थापना	14000 मेगावाट
सोलर रूफटाप आवासीय	4500 मेगावाट
सोलर रूफटाप अनावासीय	1500 मेगावाट
पीएम कुसुम योजना सी-1 एवं सी-2	2000 मेगावाट

साढ़े तेरह लाख घरों की छत पर सोलर रूफटाप का लक्ष्य:

प्रदेश के साढ़े तेरह लाख घरों की छतों पर सोलर रूफटाप सिस्टमकी स्थापना करके 4500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार भी 15000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 30 हजार रुपये का अनुदान देगी। केंद्र सरकार द्वारा 14288 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 98 हजार रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। आवासीय सोलर रूफटाप सिस्टम की स्थापना पर नेट मीटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

नलकूप पर सोलर संयंत्र लगाने पर मिलेगा 100 प्रतिशत तक अनुदान:

पीएम कुसुम योजना घटक सी-1 में किसानों को नलकूपों पर सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश में रहने वाले मुसहर, वनटांगिया तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अतिरिक्त 70 प्रतिशत और अनुदान दिया जाएगा। जाहिर है अनुदान सौ प्रतिशत तक होगा। वहीं, अन्य किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त 60 प्रतिशत और अनुदान दिया जाएगा। स्पष्ट है कि अन्य सभी किसानों के नलकूपों को सौर ऊर्जीकृत करने के लिए केवल मात्र 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। जो कि अधिकतम लगभग 55,000 रुपये होगा।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:

Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

सभी श्रेणियों की पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर सब्सिडी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को 'पर्यटन प्रदेश' के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को संवारने और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें निवेशकों को फोकस पर्यटन स्थलों के विकास में योगदान देने पर राहतों की बड़ी सौगात दी गई है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की पहल की हैं। इनमें एक जैसे धार्मिक, भौगोलिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़कर सर्किट बनाने के अलावा नए वैकल्पिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना का खाका तैयार किया गया है। साथ ही, पर्यटन के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ के निवेश के साथ-साथ 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।

हर तरह के निवेशकों को मिलेगी सब्सिडी:

नई नीति के तहत प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को कई तरह के अनुदान देने की बात कही गई है। इसके तहत, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वालों को 25 प्रतिशत या 2 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। वहीं, 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाले उद्यमियों को 20 प्रतिशत या 7.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए के बीच निवेश पर उद्यमियों को 15 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के बीच के निवेशकों को 10 प्रतिशत या 25 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी का निवेश करने वाले प्रीमियर निवेशकों को 10 प्रतिशत या 40 करोड़ रुपए में जो भी अधिक हो, सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

महिलाओं और एससी-एसटी को 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट:

फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन (एफटीओ) में पर्यटन इकाई के प्रस्तावों हेतु महिला उद्यमी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को सब्सिडी में अतिरिक्त 5 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए तक की बैंक ऋण राशि पर पात्र पर्यटन इकाइयां अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ऋण राशि के 5 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पंजीकृत पर्यटन इकाइ ब्याज सब्सिडी अथवा कैपिटल सब्सिडी में से किसी एक अनुदान हेतु ही अनुमन्य होगी।

स्टांप शुल्क और पंजीकरण में 100 प्रतिशत छूट:

नई पर्यटन नीति में पर्यटन इकाइयों की स्थापना या विस्तारीकरण हेतु भूमि के प्रथम क्रय, लीज, ट्रांसफर पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। सभी नई और विस्तार कर रही पर्यटन इकाइयों के लिए भू उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क में भी पूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रोजगार सृजन पर ईपीएफ सब्सिडी, दिव्यांग अनुकूल इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन, सूचना और प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन, नवाचार विशिष्ट हेतु 50 हजार रुपए तक का प्रोत्साहन, पर्यटन, आतिथ्य उद्योग में शोध के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता के अलावा राज्य की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला, संस्कृति और व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित किए जाने हेतु 5 लाख तक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing,
Hospitality, Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

हेरिटेज होटलों के लिए विशेष प्रोत्साहन:

हेरिटेज इकाई को लेकर भी नीति में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। हेरिटेज इकाई के मूल स्वरूप में बिना बदलाव लाए इकाई के संरक्षण, विस्तार, रेनोवेशन के जरिए हेरिटेज होटलों का संचालन करने वाले उद्यमियों को पूंजीगत निवेश के 25 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 5 करोड़ के ऋण पर 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। हेरिटेज इकाइयों को पूंजीगत एवं ब्याज अनुदान दोनों अनुमन्य होगा। हेरिटेज होटल की स्थापना या विस्तारीकरण हेतु क्रय की गई भूमि पर स्टांप ड्यूटी में छूट दिए जाने का प्रावधान है। वहीं हेरिटेज होटल की स्थापना हेतु भू उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर ऐसा परिवर्तन निशुल्क किए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटलों के परिसर में बार लाइसेंस हेतु लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं राज्य सरकार हेरिटेज होटल्स तक सर्वऋतु मार्ग तथा अतिक्रमण मुक्त लिंक रोड की व्यवस्था कराएगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की जाएगी तथा आकर्षक साइनेज लगाए जाएंगे।

युवाओं में विकसित करेंगे पर्यटन की समझ:

नीति में युवाओं एवं बच्चों में प्रारंभ से ही पर्यटन व संस्कृति की समझ, आवश्यक्ता तथा महत्व को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत युवा पर्यटन क्लबों को देश में उत्तरदायी और सतत पर्यटन विकसित करने के साधन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा राज्य में विभिन्न पर्यटन व्यवसायों द्वारा संचालित असाधारण पहलों और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए बेस्ट टूर ऑपरेटर, बेस्ट वेलनेस सेंटर, बेस्ट होटल, बेस्ट हेरिटेज होटल, बेस्ट इको टूरिज्म ऑपरेटर, बेस्ट इको रिसॉर्ट, बेस्ट होमस्टे, बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर आदि राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

500 करोड़ से अधिक के निवेश पर फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन

नई औद्योगिक नीति में सुपर मेगा या उससे अधिक की निवेश परियोजनाओं के लिए फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन का प्रविधान किया गया है। यह आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण क्षेत्रो में किया जाएगा। नीति के तहत निजी उद्योगों की स्थापना के लिए गैर कृषि, बंजर तथा अन्य पात्र श्रेणी की ग्राम समाज भूमि उपलब्ध कराने के भी उपाए किये गए है। यदि कोई किसान या व्यक्ति औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए अपनी जमीन बेचना या लीज पर देना चाहता है तो इसकी जानकारी वह सरकार की ओर से विकसित किये जाने वाले पोर्टल पर दर्ज करा सकेगा। राजस्व विभाग से जांच कराकर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जमीन विवाद रहित और किसी प्रकार की देयता से मुक्त है। बीमार उद्योगों का अधिग्रहण करने वाली इकाइयों को उनकी अधिग्रहण लागत के 20 प्रतिशत हिस्से को परियोजना लागत में जोड़कर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उत्तराधिकारी इकाइयों को भी मिलेगा प्रोत्साहन:

निवेश करने वाली इकाई को खरीदने वाली उत्तराधिकारी इकाई को शेष अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी के तीन विकल्प:

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि चारो श्रेणियों के निवेशकों को प्रोत्साहन सब्सिडी के अंतर्गत तीन विकल्प दिए जाएंगे जिनमे से किसी एक को चुनना होगा। इनमे पूंजीगत सब्सिडी, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) टाप-अप सब्सिडी शामिल है।

पूंजीगत सब्सिडी (विकल्प-1):

इसे विभिन्न क्षेत्रो के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सबसे अधिक, उससे कम मध्यांचल और पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद को छोड़कर) में तथा गौतम बुद्ध नगर व गाज़ियाबाद जिले में सबसे कम। पूंजीगत सब्सिडी को प्रोत्साहन-लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा उनकी क्षमता के उपयोग से जोड़ा गया है। इसके अलावा

निर्यात, वैल्यू चैन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले रोजगार बूस्टर, निर्यात व इकोसिस्टम बूस्टर प्रविधान किया गया है। इन बूस्टर्स के साथ इस विकल्प के तहत 42 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।

शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (विकल्प-2):

इसकी अधिकतम सीमा को क्षेत्र और निवेश की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा सभी श्रेणियों के लिए 100 प्रतिशत होगी। वहीं, वृहद श्रेणी के लिए प्रतिपूर्ति की अवधि छह वर्ष, मेगा के लिए 12 वर्ष, सुपर मेगा के लिए 14 वर्ष और अल्ट्रा मेगा के लिए 16 वर्ष होगी।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) टाप-अप सब्सिडी (विकल्प-3):

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी पर 30 प्रतिशत पीएलआइ टाप-अप सब्सिडी का विकल्प प्रदान किया गया है। इस विकल्प के माध्यम से नई नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार की पीएलआइ योजनाओ के तहत चुने गए निवेशकों को अपने निवेश गंतव्य चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

विकल्प आधारित सब्सिडी के अलावा नीति में अन्य प्रोत्साहनो का भी प्रविधान:

1. स्टांप ड्यूटी में छूट, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 100 प्रतिशत, मध्यांचल व पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत तथा गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में 50 प्रतिशत।

2. अनुसंधान से जुडी एकल इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास और बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) प्राप्त करने के लिए अधिकतम 10 करोड़ की सीमा के अधीन 25 प्रतिशत सब्सिडी।

3. उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रूपये प्रति परियोजना की सीमा के अधीन 50 प्रतिशत का वित्तीय अनुदान।

स्वच्छ औद्योगिक वातावरण पर जोर:

नई नीति में सर्कुलर अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने व स्वच्छ मेनुफेक्चरिंग उपायों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। ऑटो वाहनों, ऑटो पार्ट्स की श्रेडिंग, जैव ईंधन, बायो डीजल के उत्पादन, प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण, ई-अपशिष्ट प्रबंधन से जुडी इकाइयों को भी नीति के तहत प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा।

निजी औद्योगिक पार्को को विकास का बढ़ावा:

निवेश के क्षेत्र के आधार पर 45 करोड़ रूपये की सीमा के अधीन बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक तथा मध्यांचल व पश्चिमांचल में 30 एकड़ या उससे अधिक के निजी औद्योगिक पार्को के लिए 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। 100 एकड़ से अधिक के पार्को के लिए सब्सिडी सीमा को बढाकर 50 करोड़ रूपये किया गया है। निजी औद्योगिक पार्को में काम करने वाले लोगो के लिए डॉरमेट्री या हॉस्टल स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रूपये की सीमा के अधीन 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक पार्क के कुल प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र के 25 प्रतिशत अधिग्रहण पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

मेट्रो किनारे घोषित टीओडी जोन मास्टर प्लान में जुड़ेगा

मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर दायरे में बनने वाले ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन का अब नक्शा बनेगा। विभिन्न शहरों में टीओडी जोन की दिक्कतों पर शासन ने यह फैसला किया है। नक़्शे में स्पष्ट तौर पर रेखांकित होगा कि कौन सा क्षेत्र टीओडी जोन में है या नहीं। इसे मास्टर प्लान के साथ जोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जान सकेगा कि उसका मकान दुकान टीओडी जोन में है या नहीं।

जिन शहरों में मेट्रो या रेपिड रेल चल रही है, उन शहरों में मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ पांच-पांच सौ मीटर दायरे को टीओडी जोन घोषित किया गया है। 24 अगस्त 2022 को जारी आदेश के बाद अब तक लख़नऊ में टीओडी जोन नहीं बना है, जबकि कानपुर ने बना लिया है। दूसरे शहरों में शिकायते है कि अधिकारी मनमाने ढंग से किसी को टीओडी जोन में शामिल कर रहे तो किसी को हटा दे रहे। इन शिकायतों पर 7 नवंबर 2022 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें टीओडी जोन का चिन्हांकन, सीमांकन मानक बदलने का फैसला हुआ। तय किया गया कि जहां सड़क, रेलवे लाइन, नदियां, नाले, नालिया आदि निकली होगी, वहां भौतिक विशेषताएं ही सीमा मानी जाएंगी। किसी मकान का आधा क्षेत्र आ रहा होगा तो पूरे क्षेत्रफल को जोन में रखा जाएगा।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को दोगुनी कैपिटल सब्सिडी

सरकारी नीतियों में बदलाव कर निवेशकों को आकर्षित करने के योगी सरकार के प्रयास जारी है। इस कड़ी में अब खाद्य प्रसंस्करण की नई नीति लाने की तैयारी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द ही इस नीति से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नई नीति में निवेशकों को लुभाने के कई प्रयास किये गए है।

नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में पूंजीगत निवेश अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) को दोगुना करने की तैयारी है। खाद्य प्रसंस्करण की पिछली नीति में इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकरण के लिए 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान था, जिसे नई नीति में 50 प्रतिशत तक ले जाने की तैयारी है। कैपिटल सब्सिडी की मौजूदा सीमा को भी कई गुना करने की तैयारी है। यूपी में प्रभावी मौजूदा प्रसंस्करण नीति में अधिकतम 50 लाख रूपये तक सब्सिडी का लाभ देने का प्राविधान है जिसकी सीमा अब कुछ शर्तो के साथ दस करोड़ रूपये तक हो सकती है। हालांकि इस सीमा तक पूंजीगत निवेश अनुदान पाने के लिए निवेशकों को कोल्ड वैल्यू चैन जैसे तय मानकों का पालन करना होगा। कैपिटल सब्सिडी का लाभ नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में क्षेत्रवार तय फॉर्मूले के अनुसार ही मिलेगा। मसलन बुंदेलखंड व पूर्वांचल में प्लांट लगाने वाले निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी का लाभ सबसे अधिक मिलेगा। सरकार निवेशकों को निर्यात प्रोत्साहन भी देगी। एयरपोर्ट या समुद्री तट तक उत्पाद को ले जाने के लिए होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत तक वहन सरकार के स्तर से किये जाने पर विचार हो रहा है।

ANUBHAVI CONSTRUCTIONS

"A" Class Govt. Approved Electrical & Civil Contractor

We Specialize in Turnkey Power Project of 33/11 KV Sub-Station, HT/LT Line Works and D.G. Set Works

171/1, Abulane Phuwara Chowk, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-4301800, Mob. No.: 9719930800
E-mail: anubhavi1constructions@yahoo.com

ब्याज पर भी मिलेगी छूट:

निवेशकों को प्लांट-मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय के लिए बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज पर सात प्रतिशत की दर से अथवा वार्षिक ब्याज की दर जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति पांच वर्ष तक की जाएगी। एमएसएमई इकाई के लिए भी यही प्राविधान होगा। पिछली पालिसी में एमएसएमई को देय ब्याज पर शत प्रतिशत छूट का प्राविधान था।

ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता सेवाओं और उत्पादों की खरीद करते है। ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए कुछ कंपनिया फर्जी रिव्यू और रेटिंग कराती है। ट्रेवल बुकिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर रिव्यू और स्टार रेटिंग काफी मायने रखती है। ऐसे में घटिया उत्पादों और सेवाओं के अच्छे रिव्यूज और स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी तो आम उपभोक्ता इससे दूर रहने में ही भलाई समझेगा।

महत्वपूर्ण बाते:

- जो जैसा लिखा है, वैसा ही प्रकाशित होगा। वेबसाइट की पारदर्शिता जरुरी होगी।
- ग्राहक की मर्जी के बिना उसकी निजता से छेड़ छाड़ नहीं होगी।
- सुविधा के अनुसार रेटिंग करने या कुछ छिपाने पर सख्त पाबंदी होगी।
- रिव्यू करने वाले की पहचान करनी होगी। केवाईसी प्रक्रिया लागू होगी।
- नियमो के खिलाफ की गई हरकत को अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।
- अवहेलना अथवा अवमानना करने पर उपभोक्ता आयोग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कार्यवाई कर सकता है।

ईपीएफओ: पेंशन योजनाओ में बदलाव की तैयारी, सेवानिवृत्ति पर मिलेगा ज्यादा पैसा

सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना की वेतन सीमा बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों और कंपनियों के अनिवार्य योगदान में वृद्धि होगी। साथ ही, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले फंड के लिए ज्यादा बचत में मदद मिलेगी।

अभी ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने है। इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो 75 लाख और कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। अभी इनकी संख्या 6.8 करोड़ है। वेतन सीमा को आखिरी बार 2014 में 6,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाया गया था। पीएफ उन कंपनियों को काटना होता है, जहां 20 या इससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।

जल्द बनेगी समिति:

वेतन सीमा बढ़ाने को जल्द विशेषज्ञ समिति गठित होगी। समिति महंगाई के हिसाब से सीमा तय करेगी। इसके बाद न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाया जाएगा।

संशोधन बाद ऐसे बढ़ेगा योगदान:

अभी 15,000 रुपये मासिक वेतन पर 12% की दर से 1,800 रुपये है। अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाता है तो 12% दर से पीएफ अंशदान बढ़कर 2,520 रुपये हो जाएगा। इससे सेवानिवृत्ति फंड में बढ़ोतरी होगी।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई पोर्टल शुरू, अब ऑनलाइन जवाब मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि जल्द ही पोर्टल शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेंशनिंग की शुरुआत में कहा कि हम कहना चाहते हैं कि आरटीआई पोर्टल तैयार है और वह 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा।

चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कुछ दिक्कतें शुरुआत में आती है तो उसे मिलकर ठीक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लॉ स्टूडेंट की ओर से अर्जी दाखिल कर आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने की गुहार लगाई थी।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक पीठ विधि छात्रों आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित की दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का अनुरोध किया गया था। पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को कहा था कि 'ऑनलाइन पोर्टल' व्यावहारिक रूप से तैयार है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल किए आवेदनों के जवाब 'पोर्टल' के जरिए दिए जाएंगे। अभी तक शीर्ष अदालत के संबंध में आरटीआई आवेदन डाक के माध्यम से भेजे जाते थे।

चार महत्वपूर्ण बाते:

- सूचना पाने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय नागरिक कर सकते है।
- सूचना के अधिकार कानून के तहत अपील करने के लिए तय शुल्क देना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट से जुडी सूचना पाने के लिए इस पोर्टल से आवेदन कर सकते है।
- अन्य विभागों की सूचना के लिए संबंधित राज्य या केंद्र के आरटीआई पोर्टल पर जाए।
- पैसा कटने के बाद पंजीकरण संख्या नहीं मिला है तो आवेदक 24 से 48 घंटे का इंतजार करे।
- आवेदन संख्या बनने के बाद आवेदकों को पंजीकरण संख्या भेजी जायेगी।

कैसे करे आवेदन:

- https://registry.sci.gov.in/rti_app पर क्लिक करे, सभी दिशा-निर्देशों को मैंने देख-पढ़ लिया है उस पर टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करे।
- न्यू यूजर पर क्लिक कर खुद की आईडी बनाए, इसके बाद सभी जरुरी तथ्यों को सही-सही भरे।
- जो जानकारी चाहते है उसके लिए प्रार्थना पत्र दिए गए स्थान पर लिखे।
- कोई अन्य जानकारी या कागज लगाना चाहते है तो उसे भी प्रार्थना पत्र के साथ अपलोड करे।
- पहला पृष्ठ की जानकारी भरने के बाद भुगतान करने के लिए मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करे।
- यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए दस रूपये की राशि का भुगतान करे।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है तो उसे शुल्क नहीं देना होगा, बीपीएल सर्टिफिकेट अपलोड करे।
- पैसे का भुगतान होने के बाद आवेदक को पंजीकृत माना जाएगा।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

Petrol को GST में लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार! इसके दायरे में आ गया तो कितना सस्ता हो जाएगा?

ट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों की सहमति जरूरी है. वैसे केंद्रीय मंत्री के इस बयान से काफी लोग खुश हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो पेट्रोल काफी सस्ता हो सकता है. ऐसे में सवाल है कि अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाता है तो पेट्रोल-डीजल कितना सस्ता हो जाएगा? चलिए आपको बताते हैं कि अगर राज्य भी इस दिशा में पहल करते हैं तो क्या फायदा होगा और अभी पेट्रोल पर क्या व्यवस्था है...

सबसे जीएसटी को लेकर नीति निर्धारकों के बयान पढ़ें:

GST को लेकर हुई पिछली बैठकों में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर भाजपा सांसद सुशील मोदी कह चुके हैं कि इससे राज्यों को सामूहिक रूप से 2 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार को खुशी होगी, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा नहीं करना चाहती हैं. बढ़ती मंहगाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर त्राहि-त्राहि कर रही आम जनता से लेकर कई अर्थशास्त्री भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करके इसके दामों में गिरावट की मांग कर रहे हैं.

कितना टैक्स लगता है?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 50% टैक्स होता है. कई राज्यों में तो यह आंकड़ा 50 फीसदी से भी अधिक है. ऐसे में अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि उसने एक लीटर पेट्रोल पर कितना टैक्स दिया तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं. अगर आप एक लीटर पेट्रोल के लिए 105.41 रुपये देते हैं तो इसमें से 49.09 रुपये का टैक्स सरकारी खजाने में जाता है. 27.90 रुपये इसपर एक्साइज ड्यूटी लगती है और 17.13 रुपये का वैट (डीलर कमीशन पर वैट शामिल) है. इसमें डीलर कमीशन 3.86 रुपये प्रति लीटर होता है.

वहीं, बात अगर डीजल की करें तो मान लीजिए दिल्ली में डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर है. इसमें से 38 रुपये से भी ज्यादा सरकार के खजाने में जाता है. डीलर एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर एक लीटर डीजल में से 58.16 रुपये सरकारों के हिस्से में जाते हैं. ये लगभग एक लीटर डीजल के दाम का 60 फीसदी हिस्सा है. बात अगर आंकड़ों में करें तो सरकार हर साल करीब 4 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाती है.

कितना सस्ता होगा डीजल और पेट्रोल?

जबकि, पेट्रोल और डीजल की कीमतें में लगभग 46 प्रतिशत तक टैक्स शामिल होता है. वहीं, जब इसे जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो जीएसटी के सबसे अधिक स्लैब होने पर भी इस पर महज 28% ही टैक्स रह जायेगा. इस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी कम हो जाएगी. फिर बेसिक प्राइज पर सिर्फ इतना ही टैक्स देना होगा. इसके बाद राज्यों की ओर से लिया जाने वाले वैट खत्न हो जाएगा. फिर व्यवस्था गैस सिलेंडर की तरह हो जाएगी. जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी. रिसर्च टीम के एनालिसिस के मुताबिक, अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाता है तो देश भर में इसकी कीमत में कमी की आ सकती है. ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि पेट्रोल लगभग 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 68 रुपए प्रति लीटर तक हो सकता है. हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर सरकार पेट्रोल-डीजल को किस जीएसटी स्लैब में शामिल करती है. इसके बाद ही जीएसटी लगने के बाद की सही रेट के बारे में पता लगाया जा सकेगा.

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

बिना टैक्स के कैसे पूरी होंगी योजनाएं!

एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल लगभग 10-11 हज़ार करोड़ लीटर डीज़ल बिकता है और 3-4 हज़ार करोड़ लीटर का पेट्रोल को मिला कर लगभग 14 हज़ार करोड़ लीटर का डीज़ल-पेट्रोल बिकता है. पेट्रोल-डीज़ल के जीएसटी के दायरे में आने से केंद्र और राज्य को 4.10 लाख करोड़ का नुक़सान होगा. ऐसे में इस नुक़सान की भरपाई करना एक चुनौती होगी.

नुकसान की भरपाई के दो विकल्प:

1. इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 28 फ़ीसदी जीएसटी के अलावा सरचार्ज लगा दिया जाए. केंद्र सरकार लग्ज़री कारों पर सरचार्ज भी वसूलती है. ऐसे में कीमतें अनुमान से ज्यादा हो सकती हैं.

2. केंद्र सरकार जीएसटी के बाद भी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाए और उससे होने वाली आमदनी को केंद्र और राज्य सरकार बाँट ले. इसके लिए दोनों सरकारों को इस फ़ॉर्मूले पर सहमत होना होगा.

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

लखनऊ और बाराबंकी बनेंगे केमिकल एसईजेड

उत्तर प्रदेश केमिकल इंडस्ट्री के हब के रूप में विकसित हो सकता है। इसके लिए राज्य को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के रूप में केमिकल क्लस्टर विकसित करने चाहिए। लखनऊ-बाराबंकी, कानपुर-औरेया एसईजेड के लिए बेहतर विकल्प है। माल परिवहन लागत कम करने के लिए रेल रूट 20 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए।

यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नियुक्त सलाहकार कंपनी डेलॉयट ने राज्य सरकार को विस्तृत टेक्निकल रिपोर्ट में यह बात कही है। उसका कहना है कि एसईजेड में बड़ी व छोटी केमिकल निर्माण कंपनियों को अपने यहां निवेश के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि केमिकल प्रोडेक्ट के निर्यात वाले पोर्ट यूपी से 1300 किमी से भी ज्यादा दूर है। अगर रेल रुट में इजाफा हो जाए तो इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में सड़क पर निर्भरता:

अभी केमिकल उत्पादों (पेट्रो केमिकल व उर्वरक) का परिवहन भारत में 36 प्रतिशत रेल के जरिए व 57 प्रतिशत सड़क के जरिए होता है जबकि अमेरिका रेल से 48 प्रतिशत व सड़क से 37 प्रतिशत होता है।

यूपी सरकार से की गई संस्तुतिया:

- केमिकल यूनिट के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले जल की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए।
- रोड व बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करने की जरुरत।
- माल परिवहन की लागत कम की जानी चाहिए।
- आत्याधुनिक अग्निशमन संयंत्र केमिकल परिसर में लगाए जाए।
- केमिकल स्टोरेज टर्मिनल फैसलिटी बढ़ाई जाए।
- विदेशी निवेशकों के दौरे के मद्देनजर राज्य में फाइव या फोर स्टार होटल भी बनाए जाए।

अब स्मार्ट ट्रॉली से सिलेंडर के लीकेज की मिलेगी जानकारी

घर पर आप मौजूद है या नहीं इससे सिलेंडर के लीकेज होने की घटना से अब घबराने की जरुरत नहीं है। चेन्नई की कंपनी अत्सूया टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड ने स्मार्ट ट्रॉली विकसित की है, जो इसकी जानकारी उपभोक्ता को उसके मोबाइल पर तुरंत देगी।

यही नहीं स्मार्ट ट्रॉली में लगे सेंसर गैस कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर 1906 पर भी इसका अलर्ट भेज देगी, जिससे समय रहते हादसे को रोका जा सकेगा। ट्रॉली यह भी बताएगी कि गैस की कितनी खपत हो गई है। गैस इस्तेमाल के औसत के हिसाब से गैस खत्म होने की भी जानकारी देगी। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से पायलेट प्रोजेक्ट 100 घरो में संचालित कर पूरा कर लिया गया है। द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन के जोन एक व दो के मानकों पर भी यह तकनीक खरी उतरी है।

क्यूआर कोड से रुकेगी सिलेंडर की कालाबाजारी :

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले समय में उपभोक्ता सिलेंडर को एजेंसी से निकलने के बाद उस पर नजर रख सकेंगे। यह सिलेंडर पर लगे क्यूआर कोड से संभव हो सकेगा।

ऐसे इस्तेमाल कर सकेंगे गैस सिलेंडर पर क्यूआर कोड:

- आप अपने स्मार्टफोन से गैस सिलेंडर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकेंगे.
- स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखेगा, जिससे आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि इस सिलेंडर को किस प्लांट पर भरा गया है.
- आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और यह कहां-कहां से घूमकर आया है.
- सिलेंडर कब-कहां से निकला और इसका डिलीवरी ब्वॉय कौन है, इसके बारे में ग्राहक को पता चलेगा.
- आप स्क्रीन पर प्लांट से लेकर आपके घर तक का पूरा सफर देख सकेंगे.

- स्क्रीन पर आप गैस सिलेंडर की पूरी जानकारी जैसे वजन, एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं.

सिलेंडर पर क्यूआर कोड के फायदे:

- गैस सिलेंडर पर क्यूआर कोड की मदद से ग्राहक सिलेंडर कहां मौजूद है, वे पता लगा सकेंगे.
- इसकी मदद से ग्राहक सिलेंडर के वजन, एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल्स का भी पता कर सकेंगे.
- क्यूआर कोड की मदद से ग्राहक को यह भी पता चल जाएगा कि गैस सिलेंडर को कहां भरा गया है.
- ग्राहकों को आम तौर पर अपने गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर पता करने में दिक्कत होती है. क्यूआर कोड के जरिए वह इस बात को जान सकेंगे कि उनके सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है.
- गैस सिलेंडर आपके घर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि उसमें किसी तरह की लीकेज नहीं हो. ऐसा होने पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है. क्यूआर कोड इसमें भी ग्राहकों की बड़ी सहायता करेगा. इसकी मदद से ग्राहक पता कर सकेंगे कि क्या गैस सिलेंडर पर सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं या नहीं.
- पिछले दिनों के दौरान गैस सिलेंडर की जमाखोरी बड़ी है. क्यूआर कोड की मदद से गैस सिलेंडर की चोरी और जमाखोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी.
- क्यूआर कोड की मदद से सिलेंडर का बेहतर इंवेंटरी मैनेजमेंट भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.

कैबिनेट का फैसला: कारोबारी की सुगमता के लिए समाप्त किए जाएंगे 36 कानून

उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर विनियामक अनुपालन भार कम करने और व्यापार की सुगमता के लिए 36 राज्य अधिनियम, 5 मूल अधिनियम और 31 संशोधन अधिनियम को समाप्त किया जाएगा। योगी कैबिनेट की आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक

2022 को विधानमंडल में पेश करने की मंजूरी दी गई। सातवें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की ओर से अप्रचलित एवं अनुपयोगी हो चुकी विधियों को समाप्त करने की संस्तुति की गई है। साथ ही नागरिकों एवं व्यवसाय पर विनियामक अनुपालन भार को कम करने एवं व्यापार में सुगमता के लिए पुराने अधिनियमों को निरस्त करने की संस्तुति की गई है। प्रदेश सरकार विधानमंडल के सत्र में इसके लिए विधेयक लेकर आएगी। उल्लेखनीय है कि 2017 से अब तक 813 चिन्हित अधिनियमों को विधायी प्रक्रिया के अनुसार निरस्त किया जा चुका है।

सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा वन स्टाप शाप
मंजूरी से लेकर लाइसेंस नवीनीकरण और रिटर्न भी फ़ाइल कर सकेंगे उद्यमी, जमीन भी खरीद सकेंगे

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों के लिए अब स्टाप शाप' का काम करेगा। सिंगल विंडो से उद्यमी इकाई की स्थापना की मंजूरी से लेकर लाइसेंस के नवीनीकरण और जीएसटी रिटर्न तक फाइल कर सकेंगे। नेशनल सिंगल विंडो से लाइसेंस नवीनीकरण का काम जल्द शुरू होगा जबकि जीएसटी और अन्य टैक्स रिटर्न फाइल की सुविधा इस पोर्टल पर मुहैया कराने के लिए उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को पिछले साल लांच किया गया था ताकि औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए एक ही जगह से उद्यमियों को सभी प्रकार की मंजूरी मिल जाए। इससे पहले औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमियों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास दर्जनों आवेदन करने थे और मंजूरी में सालों लग जाते थे। भारत सरकार के 27 विभाग सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं। वहीं 19 राज्य भी सिंगल विंडो से जुड़ चुके हैं। डीपीआइआइटी सचिवअनुराग जैन ने बताया कि भारत सरकार के बचे हुए पांच विभाग इस साल अंत तक और बचे हुए राज्य अगले साल मार्च अंत तक सिंगल विंडो से जुड़ जाएंगे। नया कारोबार करने वालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम काफी मददगार है।

सिंगल विंडो से खरीद सकेंगे जमीन भी: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उद्यमी अब सिंगल विंडो से उद्योग लगाने के लिए जमीन भी खरीद सकेंगे। नेशनल लैंड बैंक को इससे जोड़ दिया गया है और इस पोर्टल पर एक लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। राज्य और केंद्र सरकार की जमीन इस पोर्टल पर है जिसे उद्यमी उद्योग की स्थापना के लिए खरीद सकेंगे। उद्यमी पोर्टल पर ही देख सकेंगे कि कौन सी जमीन कहां पर स्थित है और वह उनके काम के लायक है या नहीं।

सिंगल विंडो के तहत आवेदन के लिए अब पैन का भी किया जा सकेगा उपयोग:

सरकार केंद्र और राज्यों के विभागों द्वारा विभिन्न मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की (सिंगल विंडो) प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डाटा की जगह पैन के इस्तेमाल की इजाजत दे सकती है। इस समय ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से अधिक व्यावसायिक आईडी का इस्तेमाल आवेदन करने को किया जा रहा है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय पहले ही इस मामले में राजस्व विभाग से संपर्क कर चुका है। हम मौजूदा डाटाबेस में से एक का उपयोग करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहले ही सरकार के पास उपलब्ध है। संभवत: वह पैन नंबर होगा।

पैन के साथ कंपनी के बारे में बहुत सारे बुनियादी आंकड़े, इसके निदेशक, पता और बहुत सारे सामान्य डाटा पहले से ही उपलब्ध हैं। सिंगल विंडों प्रणाली का मकसद विभिन्न मंत्रालयों को सूचना देने की प्रक्रिया में दोहराव को कम करना, अनुपालन बोझ घटाना, परियोजनाओं की अवधि में कटौती और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है।

XXXXXXXXXXX